न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–418/17 ((RCMS No. 2017/00444) 18 आयुध अधिनियम 1959)

मोहन लाल पुत्र रतन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम सूरौता थाना कुम्हेर जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर दिनांक 19.06.2017

उपस्थितिः–

1. श्री दिलीप सिंह वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 15.02.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के निर्णय दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पूर्व में जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 18.10.2010 के आधार पर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 49/1997 दिनांक 25.10.2010 को निरस्त किया गया था। जिसकी अपील संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में की गई थी। संभागीय आयुक्त भरतपुर ने सुनवाई कर अपील दिनांक 10.08.2011 को स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः अपीलान्ट को सुनकर आर्म्स रूल्स 2016 में प्रचलित नियमों के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का निर्देश देकर प्रकरण का निस्तारण दिनांक 19.06.17 को किया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से चरित्र के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी जिस पर पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने अपने पत्रांक 1515 दिनांक 09.08.2016 से अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करने की अनुशंषा की थी। इसके अलावा पुलिस थाना कुम्हेर द्वारा भी अपने पत्रांक 5759 दिनांक 31.07.

2016 से भी अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण करने की अनुशंषा की है। इसके बाबजूद भी अधीनस्थ नयायालय ने पुलिस अधीक्षक भरतपुर पुलिस थाना कुम्हेर की अनुशंषा पर कोई गौर नही करते हुऐ अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट समाज का वरिष्ठ नागरिक है तथा शस्त्र आत्मरक्षा के लिये रखता है। अपीलान्ट ने कभी शस्त्र का दुरूपयोग नही किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध किसी न्यायालय में या थाने में मुकदमा विचाराधीन नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण करने के आदेश पारित किये जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया था जिसकी अपील न्यायालय हाजा में की गई थी। न्यायालय हाजा ने पुनः सुनवाई के लिये अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनकर निर्देश दिये है कि आर्म्स रूल्स 2016 के तहत अपीलान्ट प्रार्थना पत्र पेश करें। वर्तमान में प्रचलित नियमों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें प्रार्थना पत्र पर बाद कार्यवाही गुणावुगण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। अपीलान्ट को आर्म्स रूल्स 2016 के तहत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पूर्व में जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 18.10.2010 के आधार पर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 49/1997 दिनांक 25.10.2010 को निरस्त किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में की थी। न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने सुनवाई कर अपील दिनांक 10.08.2011 को स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः अपीलान्ट को सुनकर आर्म्स रूल्स 2016 में प्रचलित नियमों के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का निर्देश देकर प्रकरण का निस्तारण दिनांक 19.06.17 को किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में आर्म्स रूल्स 2016 में प्रचलित नियमों के तहत ही प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था। अपीलान्ट ने आर्म्स रूल्स 2016 के तहत कार्यवाही नही कर अपील पेश की है, जो उचित नही है। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.06.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.02.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official